

निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर
20 / 2022

तारीख रजू
29.09.2022

तारीख निर्णय
15/11/26

1. अब्दुल कदीर पुत्र खुदाबक्श जाति मुसलमान तेली निवासी रेंडायल गुर्जर तह0 वजीरपुर
2. अब्दुल मजीद खॉ पुत्र खुदाबक्श जाति मुसलमान तेली निवासी रेंडायल गुर्जर तह0 वजीरपुर

बनाम

- 1 सरपंच, ग्राम पंचायत रेण्डायल गुर्जर जरिए सरपंच
- 2 लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर
3. अब्दुलगनी पुत्र खुदाबक्श जाति मुसलमान तेली निवासी रेंडायल गुर्जर तह0 वजीरपुर
4. अब्दुल रहमान पुत्र खुदाबक्श जाति मुसलमान तेली निवासी रेंडायल गुर्जर तह0 वजीरपुर
5. ईदू पुत्र खुदाबक्श जाति मुसलमान तेली निवासी रेंडायल गुर्जर तह0 वजीरपुर
6. मोहम्मद सुलेमान पुत्र खुदाबक्श जाति मुसलमान तेली निवासी रेंडायल गुर्जर तह0 वजीरपुर
- 7 अकबरी पुत्री खुदाबक्श जाति मुसलमान तेली निवासी रेंडायल गुर्जर तह0 वजीरपुर
8. खातून पुत्री खुदाबक्श जाति मुसलमान तेली निवासी रेंडायल गुर्जर तह0 वजीरपुर

—रेस्पॉन्डेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय व आदेश सरपंच ग्राम पंचायत रेण्डायल गुर्जर बाबत
नामान्तरकरण संख्या 712 दि0 05.12.2014 ग्राम रेण्डायल गुर्जर
उपस्थित :-श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, अपीलार्थीगण की ओर से
निर्णय

अपीलार्थीगण ने अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि ग्राम रेण्डायल गुर्जर की भूमि ख0न0 67 रकबा 0.22 है0 की खातेदारी पूर्व में अपीलार्थीगण की माता अरफरी बेबा खुदाबक्श जाति मुसलमान तेली का नाम दर्ज रही है। अपीलार्थीगण के पिता की मृत्यु के उपरांत भूमि की विरासत का नामान्तरकरण मृतक के वारिसों के नाम दर्ज किया गया। जिसमें अपीलार्थी



[Handwritten signature]

(2)

संख्या 1 का नाम गलत रूप से अब्दुल कदीर के स्थान पर अब्दुल कबीर एवं अब्दुल मजीद खॉ के स्थान पर अमजद दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलार्थीगण का सही नाम अब्दुर कदीर एवं अब्दुल मजीद खॉ है। इसलिए अपील पेश करना आवश्यक हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय व आदेश विधि विरुद्ध एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विपरित है। बिना किसी जाँच व जानकारी के मात्र पटवारी हल्का द्वारा भरे गये नामान्तरकरण को तस्दीक किया गया है। हल्का गिरदावर द्वारा भी इसकी जाँच नहीं की गई है। मृतक अरफरी बेबा खुदाबक्श के वारिसों को नोटिस दिये बिना नामान्तरकरण गलत रूप से तस्दीक किया गया है। इस गलत इन्द्राज की अपीलार्थीगण को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी परन्तु केसीसी बनवाने के लिए बैंक मैनेजर से मिले तो जानकारी हुई कि अपीलार्थीगण का नाम गलत दर्ज है। इस पर अपीलार्थीगण ने दिनांक 16.9.22 को पटवारी हल्का से नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय व आदेश सरपंच ग्राम पंचायत रेण्डायल गुर्जर बाबत ना.स. 712 दिनांक 5.12.2014 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थीगण के नाम के इन्द्राज सही करने के आदेश दिये जावें।

अपील के साथ अपीलार्थीगण ने शपथ पत्र, धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, नकल नामान्तरकरण संख्या 479 दिनांक 05.04.2004 ग्राम रेण्डायल गुर्जर, नकल जमाबंदी सं० 2076 से 2079 खाता संख्या 02, फोटोकॉपी आधार कार्ड अब्दुल कदीर व अब्दुल मजीद खॉ, सरपंच ग्राम पंचायत रेण्डायल गुर्जर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं।

अपील दर्ज की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण 1 बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नहीं हुए हैं।

प्रत्यर्थी संख्या 3 ता 8 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रत्यर्थीगण के भाई अपीलार्थी संख्या 1 का सही नाम अब्दुल कदीर व अपीलार्थी संख्या 2 का नाम अब्दुल मजीद खॉ है। इसी अनुसार रिकॉर्ड में दुरस्ती करने में प्रत्यर्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि अपीलार्थीगण का नाम अब्दुल कबीर के बजाय अब्दुल कदीर एवं अमजद के बजाय अब्दुल मजीद खॉ किया जाना उचित है।

बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 479 दिनांक 05.04.2004 ग्राम



[Handwritten signature]

(3)

रेण्डायल गुर्जर मे दर्ज किये गये अपीलार्थीगण का नाम अब्दुल कबीर व अमजद के स्थान अब्दुल कदीर व अब्दुल मजीद खॉ दुरुस्त करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। विरासत का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 479 दिनांक 05.04.2004 ग्राम रेण्डायल गुर्जर मे मृतक खुदाबक्श की विरासत मे वारिसों का नाम अ0 गनी, ईदू, अ. रहमान, अ. कबीर, अमजद, मौ0 सुलेमान पिता खुदाबक्श तथा अशरफी बेबा खुदाबक्श दर्ज किया गया है। इसमे अपीलार्थीगण का नाम अ. कबीर व अमजद गलत दर्ज किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 ता 8 के जबाब के अनुसार अपीलार्थीगण का नाम अ. कबीर के स्थान पर अब्दुल कदीर तथा अमजद के स्थान अब्दुल मजीद खॉ दुरुस्त किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है एवं नामान्तरकरण संख्या 479 दिनांक 05.04.2004 के आधार पर वर्तमान जमाबंदी संवत 2076-79 खाता संख्या 2 मे दर्ज नाम अ. कबीर के स्थान पर अब्दुल कदीर तथा अमजद के स्थान अब्दुल मजीद खॉ दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इस जमाबंदी मे दर्ज अन्य प्रविष्टिया यथावत रहेगीं। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की सत्य-प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावे।

पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/1/26 खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुधीराजी बमीना)
उप-जिला कलेक्टर
वजीरपुर